

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि विभाग में स्थापित बायोमैट्रिक्स मशीन पर आकस्मिक अवकाश आवेदन हेतु पूर्व में ही आकस्मिक अवकाश प्रबंधन मोड्यूल सॉफ्टवेयर (ऑनलाईन) का प्रजेन्टेशन दिया जा चुका है।

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 06.02.2012 से आकस्मिक अवकाश चाहने हेतु बायोमैट्रिक्स मशीन पर अथवा ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आवेदन किया जाना निश्चित किया जाता है। आकस्मिक अवकाश आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट www.doitc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आकस्मिक अवकाश आवेदन हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जानी है :-

1. अधिकारी/कर्मचारी बायोमैट्रिक्स मशीन पर स्वयं उपस्थित होकर आकस्मिक अवकाश आवेदन कर सकते हैं अथवा अपने एम्पलाई-आईडी एवं सुरक्षित पासवर्ड द्वारा विभाग की वेबसाइट www.doitc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन किया गया आकस्मिक अवकाश (applied casual leave) स्वतः ही कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास अनुमोदन (for approval or recommendations) हेतु तत्काल ऑनलाईन ही पहुंच जावेगा।
3. अनुमोदित आकस्मिक अवकाश (approved casual leave) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने ऑनलाईन अवकाश खाते (leave account of concern through Internet) में देखा जा सकता है।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अपने अनुमोदित आकस्मिक अवकाश (approved casual leave) को उपभोग करने से पूर्व, किसी परिस्थितियों में, यदि निरस्त (cancel) करवाना चाहे तो उक्त अनुमोदित आवेदन को अपने ऑनलाईन अवकाश खाते (Using online leave account through Internet) से निरस्त करवा सकता है।
5. अधिकारी/कर्मचारी अपने शेष बचे आकस्मिक अवकाश (balance casual leave) का विवरण भी अपने ऑनलाईन अवकाश खाते (Using online leave account through Internet) में देख सकते हैं।

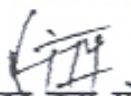

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर
एवं कार्यालयाध्यक्ष

समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण,
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
जयपुर

अज्ञा.टीप कमांक: प.2(795)सूप्रौ/संस्था/10/ 647
जयपुर, दिनांक: 06/02/12

प्रतिलिपि -

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभावी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर

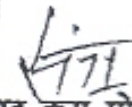

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर
एवं कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय समय (प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे) के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से राजकीय/निजी कार्य के लिए बाहर से आने वाले व्यक्ति/आगंतुक हेतु मिलने का समय दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक का निश्चित किया जाता है। इस समयावधि से पूर्व अथवा पश्चात् बाहर से आने वाले व्यक्ति/आगंतुक से किसी भी संबंध में नहीं मिला जावे। इससे राजकीय कार्य के सफल क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। यदि फिर भी आवश्यक कार्य से उपरोक्त वर्णित समयावधि के अतिरिक्त कार्यालय समय में आगंतुक को किसी अधिकारी/कर्मचारी से मिलना आवश्यक हो तो उक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आगंतुक के संबंध में रिसेप्शन काउण्टर पर दी गई पूर्व सूचना के आधार पर ही आगंतुक को मिलने की अनुमति दी जा सकेगी।

साथ ही राजकीय बैठकों में विभिन्न विभागों से आने वाले अधिकारियों/प्रतिनिधियों के आने की पूर्व सूचना रिसेप्शन काउण्टर (आईपी-9999) पर सुरक्षा अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है ताकि उक्त अधिकारी/प्रतिनिधि को कार्यालय परिसर एवं मिटिंग/बैठक कक्ष तक पहुंचने में किसी प्रकार के व्यवधान का सामना ना करना पड़े।


एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर
एवं कार्यालयाध्यक्ष

समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण,
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
जयपुर

अशा.टीप कमांक: प.2(795)/सूप्रौ/संस्वा/10/ 646-
जयपुर, दिनांक: 06.02.12

प्रतिलिपि -

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर

✓

प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर


एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर
एवं कार्यालयाध्यक्ष